आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर न्यायालय उपायुक्त, पलामू।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
24/08/2018	न्यायालय–उपसमाहर्त्ता भू0सु0 सदर मेदिनीनगर दा0खा0 अपील वाद–सं0–XV-5/17-18 आलोक कुमार सांवरिया .... अपीलार्थी –बनाम– सलमुद्दीन अंसारी .... विपक्षी आदेश यह दा0,खा0 अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा दा0खा0 वाद सं0–1541/13–14 में दिनांक 29.01.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी के नाम से ग्राम रजवाडीह थाना मेदिनीनगर के खाता नं0 99 प्लॉट नं0 1263 रकबा 0.20½ एकड़ भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है तथा विपक्षी के विक्रेता के नाम से बन्दोबस्ती के आधार पर चल रही जमाबंदी को स्थगित करने तथा बन्दोबस्ती को रद्द करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को निदेशित किया गया है। अपील स्वीकृत करते हुए विपक्षी को सूचना निर्गत की गयी तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया। अपीलार्थी का दावा है कि विपक्षी ने निबंधित केवाला सं0–6424/2013 के माध्यम से ग्राम रजवाडीह थाना मेदिनीनगर का खाता नं0 99 प्लॉट नं0 1263 रकबा	8 3070 C ... 24 ... ...

A

0.20½ एकड़ भूमि अपीलार्थी के पक्ष में बिक्री कर दखल–कब्जा दे दिया है जिसके आधार पर अपीलार्थी का दखल–कब्जा एवं अपीलार्थी के बिक्रेता की जमाबंदी पाते हुए हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने अपीलार्थी के नाम से नामांतरण के लिए अनुशंसा किया किन्तु अंचल अधिकारी, द्वारा इस पर बिना बिचार किए ही नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया है। कथन है कि विपक्षी के बिक्रेता आशिक अंसारी को प्रश्नगत् खाता/प्लॉट में रकबा 0.59 एकड़ भूमि बन्दोबस्ती वाद सं0–18/20–03 से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(B) के अन्तर्गत दखल–कब्जा पाते हुए सक्षम पदाधिकारी अधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी, के आदेश से बन्दोबस्ती द्वारा प्राप्त है तथा जमाबंदी चल रही है जिसे अंचल अधिकारी, ने क्षेत्राधिकार से बाहर होकर स्थगित कर दिया है तथा उसे रद्द करने का प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया है। अपीलार्थी का दावा है कि अपीलार्थी के बिक्रेता सलमुद्दीन अंसारी एवं अपीलार्थी के बिक्रेता के बिक्रेता आशिक अंसारी दोनों मुस्लिम पीछड़ी जाति के मोमीन जाति के हैं जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 की परिधि में नहीं आते है। प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खाता की है तथा गैरमजरूआ भूमि की पीछड़ी जाति के साथ बन्दोबस्ती का प्रावधान है जिसके तहत ही बन्दोबस्ती वाद सं0–18/02–03 से विपक्षी के बिक्रेता को प्रश्नगत् भूमि प्राप्त है जिसे स्थगित एंव रद्द करने का क्षेत्राधिकार अंचल अधिकारी का नहीं है। अंचल अधिकारी, ने आदेश पारित करने में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 में दिए गये प्रावधान एवं दखल–कब्जा तथा प्रश्नगत् भूमि पर प्राप्त रैयती हक का नजर अंदाज किया है तथा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा पारित आदेश का 2008(2) जे0सी0आर0597 पर उद्धत नियमन की अनदेखी की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जे0सी0आर0 2003 पृष्ठ सं0–665 पर उद्धत नियमन के अनुसार दा0खा0 से स्वत्व,

अधिकार प्राप्त नही होता है सिर्फ दखल–कब्जा के आधार पर दाखिल–खारीज का प्रावधान दिया गया है। जे0बी0सी0जे0 2014 (जन) पृष्ठ सं0 155 पर उद्धत नियमन के अनुसार दाखिल–खारीज के लिए दखल–कब्जा ही मुख्य बिन्दु है। अंचल अधिकारी/भू0सु0उपसमाहर्त्ता, को स्वत्व अधिकार का निर्णय नही देना है। दा0खा0 की प्रक्रिया मात्र लगान प्राप्त करने का है। माननीय उच्च न्यायालय का बी0बी0सी0जे0 1978 पृष्ठ 323, बी0बी0सी0जे0 1979 पृष्ठ सं0 805 पर उद्धत नियमन के आलोक में निर्गत नोटिफिकेशन नं0–10 L.R–078–1597 दिनांक 10.06.78 के अनुसार यहाँ तक कि अपर समाहर्त्ता, को 31.03.79 के बाद मांग स्थगित करने एवेटमेंट, मांग में सुधार करने रद्द करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। कथन है कि अपीलार्थी के बिक्रेता के नाम से दा0खा0 वाद सं0–321/11 से जमाबंदी कायम है, न तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा रद्द किया गया है और न स्थगित है, बल्कि अभी कायम है, जिसके आधार पर वर्तमान दा0खा0–1541/13–14 द्वारा नामांतरण पर निर्णय लेना था जिसे अंचल अधिकारी ने उपर्युक्त बिन्दुओं पर बिना विचार किए ही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर होकर अस्वीकृत कर दिया गया है तथा विपक्षी के बिक्रेता की जमाबंदी स्थगित कर रद्द करने का प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया है जो बिल्कुल अवैध है जिसे निरस्त किया जाना अपेक्षित है।

विपक्षी/बिक्रेता का दावा है कि विपक्षी सलमुद्दीन अंसारी जाति का शेख–मोमीन पीछड़ी मुस्लिम जाति का सदस्य है जो नोटीफिकेशन नं0–A/5–3043/61–5423R दिनांक 23.06.1962 के अनुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 की परिधि में नहीं आता है। विपक्षी द्वारा भूमि बिक्री पर रोक नहीं है। विपक्षी का बिक्रेता आशिक अंसारी भी जाति का शेख–मोमीन पीछड़ी जाति है जिसे प्रश्नगत खाता/प्लॉट में रकबा 0. 59 एकड़ भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की

धारा–63ए के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी सदर से बन्दोबस्ती वाद सं0–18/02–03 से प्राप्त है तथा जमाबंदी चल रही है। विपक्षी का बिक्रेता बन्दोबस्ती से प्राप्त भूमि के दखल–कब्जा में है तथा उसने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–63 का उल्लघंन नही किया है। विपक्षी ने उक्त मो0 आशिक अंसारी से निबंधित केवाला सं0 6364/2003 के माध्यम से प्रश्नगत खाता/प्लॉट में रकबा 0.20½ एकड़ भूमि क्रय किया और क्रय की तिथि से दखल–कब्जा में आया जिसके आधार पर दा0खा0 वाद सं0–321/11–12 से दाखिल–खारीज होकर होल्डींग नं0 51 पर जमाबंदी चल रही है। इस दा0खा0 के विरूद्ध किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है तथा जमाबंदी अभी भी कायम है। विपक्षी ने आवश्यकतावश निबंधित केवाला सं0–6426/दिनांक 19.07.13 के माध्यम से प्रश्नगत् भूमि अपीलार्थी को बिक्री द्वारा अंतरित कर दखल–कब्जा दे दिया है। अपीलार्थी प्रश्नगत् भूमि के दखल–कब्जा में है। दा0खा0 के लिए बिक्रेता की जमाबंदी एवं दखल कब्जा ही प्रमुख बिन्दु है जब कि अंचल अधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलार्थी का प्रश्नगत् भूमि के लिए नामांतरण अस्वीकृत कर दिया है तथा विपक्षी के बिक्रेता की जमाबंदी स्थगित करने तथा बन्दोबस्ती रद्द करने का प्रस्ताव समर्पित करने का आदेश पारित किया है जबकि विपक्षी के बिक्रेता की जमाबंदी सक्षम पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी सदर के आदेश से कायम है। अंचल अधिकारी ने अपीलार्थी के नाम से दा0खा0 के लिए बिहार रिनेम्टस होल्डिंग ऐक्ट 1973 की धारा 14 का अनुपालन नही किया है। अंचल अधिकारी, द्वारा पारित आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर एवं अवैध है जो निरस्त किए जाने के योग्य है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन तथा दोनों पक्षों द्वारा दाखिल कागजात का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित

जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी अपीलार्थी के विक्रेता सलमुद्दीन अंसारी के नाम से चल रही है तथा प्रश्नगत् भूमि पर अपीलार्थी/क्रेता का दखल कब्जा है तथा प्रश्नगत् भूमि भू-हदबंदी सर्वाजनिक उपयोग एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(B) के अन्तर्गत नही आती है। विपक्षी के विक्रेता को प्रश्नगत् भूमि बन्दोबस्ती वाद सं0-18/02-03 से प्राप्त है। दाखिल-खारीज के लिए विक्रेता की जमाबंदी एवं दखल कब्जा ही महम्वपूर्ण बिन्दु है। दाखिल-खारीज का आदेश राईट-टाइटील का अधिकार नहीं देता है बल्कि लगान प्राप्त करने से संबंधित आदेश है जैसा कि समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमन दिए गये है। विपक्षी के विक्रेता को अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेश से प्रश्नगत् भूमि प्राप्त है जिसके विरूद्ध किसी ने कोई आपत्ति नही की है। अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेश से कायम जमाबंदी को स्थगित करने की शक्ति अंचल अधिकारी को प्रदत नही है। स्पष्ट है अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत करने तथा विपक्षी के विक्रेता की जमाबंदी स्थगित करने का पारित आदेश अवैध एवं उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा दिनांक 29.01.14 का पारित आदेश निरस्त किया जाता है साथ ही अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर को अपीलार्थी के नाम स दे दखल-कब्जा के आधार पर नियमानुसार दाखिल-खारीज का आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है।

इस निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

24/08/18

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
सदर मेदिनीनगर।

24/08/18

उप समाहर्त्ता, भू0सु0
सदर मेदिनीनगर।